रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 14, 1990/फाल्गुन 23, 1911
No. 104] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 14, 1990/PHALGUNA 23, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-मूतल परिवहन मंत्रालय
(नौवहन पक्ष)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 14 मार्च, 1990
(नौवहन)

सा.का.नि. 136(अ).—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 295 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्र पर टक्कर को रोकना) विनियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात :—,

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्र पर टक्कर को रोकना) संशोधन विनियम, 1990 है ।

(2) ये 19 नवंबर, 1990 को प्रवृत्त होंगे ।

2. वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्र पर टक्कर को रोकना) विनियम, 1975 की अनुसूची में—,

(1) नियम 1 के खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) "जब संबद्ध सरकार यह अवधारण कर लेती है कि किसी विशेष संनिर्माण या प्रयोजन के जलयान द्वारा संख्या, स्थिति, रेंज, या बत्तियों की दृश्यता के चाप या रूप की बाबत और इसके साथ-साथ ध्वनि संकेत साधित्रों के विन्यास और विशेषताओं की बाबत इन नियमों में से किसी नियम के उपबंधों का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया जा सकता तो ऐसा जलयान संख्या, स्थिति, रेंज या बत्तियों की दृश्यता के चाप या रूप की बाबत और इसके साथ-साथ ध्वनि संकेत साधित्रों के विन्यास और विशेषताओं की बाबत ऐसे अन्य उपबंधों का अनुपालन करेगा, जिनके बारे में सरकार यह अवधारित करे कि उस जलयान की बाबत इन नियमों का निकटतम संभव अनुपालन है।",

(2) नियम 3 के खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :—

"(ज) "वात प्रवाह द्वारा व्यवरुद्ध जलयान" पद से एक ऐसा शक्ति चालित जलयान अभिप्रेत है जिसके नौगम्य जल की उपलब्ध गहराई और चौड़ाई के संबंध में अपने वात-प्रवाह के कारण, उस मार्ग से विचलित होने पर स्वयं निर्बंधन लगा लिए जाते है, जिसका वह अनुसरण कर रहा है। ",

(3) नियम 8 के खंड (ङ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(च) (i) कोई ऐसा जलयान जिससे किसी अन्य जलयान के मार्ग या सुरक्षित मार्ग में कोई बाधा डालने की अपेक्षा नहीं की जाती, जहां मामले की परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, किसी अन्य जलयान के सुरक्षित मार्ग के लिए समुद्र में पर्याप्त जगह छोड़ने के लिए शीघ्र कार्रवाई करेगा।

(ii) कोई ऐसा जलयान, जिससे किसी अन्य जलयान के मार्ग या सुरक्षित मार्ग में कोई बाधा डालने की अपेक्षा नहीं की जाती है, इस बाध्यता से मुक्त नहीं हो जाता, यदि वह किसी ऐसे अन्य जलयान के पास आ रहा हो जहां टकराने का जोखिम अंतर्वलित हो और वह कार्रवाई करते समय उस कार्रवाई की ओर पूरा-पूरा ध्यान देगा जो इस भाग नियमों द्वारा अपेक्षित हो।

(iii) कोई ऐसा जलयान जिसके मार्ग में कोई बाधा न डाली जानी हो पूर्ण रूप से इस बात के लिए पूर्ण रूप से बाध्य रहता है कि वह उस समय जब दो जलयान एक दूसरे के निकट आ रहे और उनके टकराने का जोखिम अंतर्वलित हो, इस भाग के नियमों का अनुपालन करे।",

(4) नियम 10 में,—

(क) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :—

(क) यह नियम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अपनाई गई यातायात पृथक्करण स्कीमों को लागू होता है और किसी भी जलयान को किसी अन्य नियम के अधीन उसकी बाध्यता से मुक्त नहीं करता है।",

(ख) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :—

"(ग) कोई भी जलयान, जहां तक साध्य हो, यातायात लेन पार करने से बचेगा किंतु यदि वह ऐसा करने के लिए बाध्य है तो वह यथा साध्य निकटतम रूप से यातायात प्रचुरता की सामान्य दिशा के समकोण पर करेगा।",

(5) उपाबंध—1 में,—

(क) खंड (2) में,—

(i) उपखंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात :—

(घ) 12 मीटर से कम लंबाई वाला शक्ति चालित जलयान सबसे ऊंची बत्ती को गनल से ऊपर 2.5 मीटर से कम ऊंचाई पर ले जा सकेगा। परंतु जहां पार्श्व बत्तियों और पृष्ठ बत्ती के अतिरिक्त मस्तूल शीर्ष बत्ती ले जाई जाती है या पार्श्व बत्तियों के अतिरिक्त सर्वमुखी बत्ती, जो नियम 23(ग)(1) में विहित है, ले जाई जाती है वहां ऐसी मस्तूल शीर्ष बत्ती या सर्वमुखी बत्ती पार्श्व बत्तियों से कम से कम एक मीटर ऊपर ले जाई जाएगी।",

(ii) उपखंड (i) में, उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) 20 मीटर से कम लंबाई वाले जलयान पर ऐसी बत्तियां कम से कम एक मीटर की दूरी पर रखी जाएंगी और इन बत्तियों में सबसे नीची बत्ती, सिवाय ऐसी स्थिति के जहां कर्षण बत्ती अपेक्षित हो, गनल से कम से कम दो मीटर ऊपर ऊंची रखी जाएगी।",

(ख) खंड 10 में,—

(i) उपखंड (क) में "चलत जलयान" शब्दों के स्थान पर "यातायात अधीन चलत जलयान" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उपखंड (ख) में "चलत जलयान" शब्दों के स्थान पर "यातायात अधीन चलत जलयान" शब्द रखे जाएंगे।

(6) खंड (1) में,—

उपखंड (ढ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"(ण) रेडियो संचार प्रणाली द्वारा प्रेषित अनुमोदित संकेत।"

टिप्पणी :— मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 3, खंड 2, उपखंड (i) तारीख 5-7-1975 में पृष्ठ 1820-1845 पर पोत परिवहन और परिवहन मंत्रालय की सरकारी अधिसूचना सं. सा. का. नि. 820 तारीख 25-6-1975 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया था,—

(i) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 4-11-1978 में पृष्ठ 2533 पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1317 तारीख 24-10-1978।

(ii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 29-9-1986 में पृष्ठ 1 से 31 पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1053(अ) तारीख 29-9-1986।

[फा. सं. एस.आर.-11012/1/88-एम.प]

राम सनेही, अवर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Shipping Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 1990

(Merchant Shipping)

G.S.R. 136(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 285 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Merchant Shipping (Prevention of Collisions at Sea) Regulations, 1975, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Merchant Shipping (Prevention of Collisions at Sea) Amendment Regulations, 1990.

(2) They shall come into force on the 19th day of November, 1990.

2. In the Schedule to the Merchant Shipping (Prevention of Collisions at Sea) Regulations, 1975 —

(1) for clause (e) of Rule 1, the following clause shall be substituted, namely :—

"(e) Whenever the Government concerned shall have determined that a vessel of special construction or purpose cannot comply fully with the preventions of any

of these Rules with respect to the number, position, range or arc of visibility of lights or shapes, as well as to the disposition and characteristics of sound-signalling appliances, such vessel shall comply with such other provisions in regard to the number, position, range or arc of visibility of lights or shapes, as well as to the disposition and characteristics of sound-signalling appliances, as her Government shall have determined to be the closest possible compliance with these Rules in respect of that vessel.";

(2) for clause (h) of Rule 3, the following clause shall be substituted, namely :—

"(h) The term "vessel constrained by her draught" means a power-driven vessel which, because of her draught in relation to the available depth and width of navigable water, is severely restricted in her ability to deviate from the course she is following,";

(3) fater clause (e) of Rule 8, the following clause shall be inserted, namely :—

"(f) (i) A vessel which, by any of these rules, is required not to imede the passage or safe passage of another vessel shall, when required by the circumstances of the case, take early action to allow sufficient sea room for the safe passage of the other vessel.

(ii) A vessel required not to impede the passage or safe passage of another vessel is not relieved of this obligation if approaching the other vessel so as to involve risk of collision and shall, when taking action, have full regard to the action which may be required by the rules of this part.

(iii) A vessel the passage of which is not to be impeded remains fully obliged temocomply with the rules of this part when the two vessels are approaching one another so as to involve risk of collision.";

(4) in Rule 10, —

(a) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) This rule applies to traffic separation schemes adopted by the International Maritime Organisation and does not relieve any vessel of her obligation under any other rule.";

(b) for cluase (c), the following clause shall be substituted, namely :—

"(c) A vessel shall so far as practicable, avoid crossing traffic lanes but if obliged to do so shall cross on a heading as nearly as practicable at right angles to the general direction of traffic flow.";

(5) in the Annex—I,

(a) in clause 2,—

(i) for sub-clause (d), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(d) A power-driven vessel of less than 12 metres in length may carry the uppermost light at a height of less than 2.5 metres above the gunwale. When however a masthead light is carried in addition to sidelights and a sternlight or the all-round light prescribed in rule 23 (c) (i) is carried in addition to sidelights, then such masthead light or all-round light shall be carried at least one metre higher than the sidelights.";

(ii) in sub-clause (i), for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(ii) on a vessel of less than 20 metres in length such lights shall be spaced not less than one metre apart and the lowest of these lights shall, except where a towing light is required, be placed at a height of not less than two metres above the gunwale.":

(b) in clause 10,—

(i) in sub-clause (a) for the words "sailing vessels.", the words "sailing vessels underway" shall be substituted ;

(ii) in sub-clause (b) for the words "sailing vessels", the words "sailing vessels underway" shall be substituted ;

(6) in clause 1, —

after sub-clause (n), the following clause shall be inserted, namely :—

"(o) approved signals transmitted by radiocommunication systems.";

NOTE : The Principal rules were published in the Gazette of India, Part, 3, Section II, Subsection (i) dated 5-7-1975 at pages 1820-1845 vide Government notification, Ministry of Shipping and Transport, No, GSR 820 dated 25-6-1975 and was subsequently amended by, —

(i) Government notification No. GSR 1317 dated 24-10-1978, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated 4-11-1978 at page 2533.

(ii) Government notification No. GSR 1053 (E) dated 29-9-1986, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 29-8-1986 at page 5.

[F. No. SR-11012/1/88-MA]

RAM SANEHI, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990